पटना उच्च न्यायालय में
लेटर पेटेंट अपील संख्या 167 वर्ष 2024 में
सिविल रिट अधिकारिता मामला संख्या 10426 वर्ष 2022

1. शैलेश कुमार@आजाद.
2. मनीष कुमार@गुड्डू.
3. कृष्णकांत कुमार@निक्कू.
4. राजीव कुमार.
5. संजीव कुमार.

ये सभी स्वर्गीय संतोष प्रसाद के पुत्र हैं, जो पीपुल्स कोऑपरेटिव कॉलोनी, सेक्टर–एफ–90, कंकड़बाग, पुलिस थाना कंकड़बाग, जिला–पटना के निवासी थे।

अपीलार्थी/यों

बनाम

1. बिहार राज्य, प्रधान सचिव सहकारिता, बिहार सरकार, पटना के माध्यम से।
2. समाहर्त्ता सह जिला मजिस्ट्रेट, पटना।
3. अध्यक्ष, अभिकरण समिति सह अनुमंडलाधिकारी, पटना सदर, पटना।
4. अनुमण्डल पदाधिकारी, पटना सदर, पटना
5. राजेंद्र प्रसाद, पुत्र–स्वर्गीय सूर्य देव नारायण सिंह, निवासी पीपुल्स को–ऑपरेटिव कॉलोनी, सेक्टर–एफ–90, कंकड़बाग, पुलिस थाना– कंकड़बाग, जिला–पटना, वर्तमान में मोहल्ला–रोड नंबर 13–सी, थाना बहादुरपुर, जिला–पटना में निवास कर रहे हैं।

प्रतिवादी/ओं

उपस्थितिः

अपीलकर्ता के लिए	:	श्री सिया राम शाही, अधिवक्ता श्री अनिरुद्ध कुमार सिन्हा
प्रतिवादी संख्या 5 के लिए	:	श्री जे.एस. अरोरा, वरिष्ठ अधिवक्ता श्री रितेश कुमार, अधिवक्ता
राज्य के लिए	:	श्री प्रमोद कुमार, अधिवक्ता श्री अमित प्रकाश, जीए–13

Bijma

कोरम : माननीय मुख्य न्यायाधीश
और
माननीय न्यायमूर्ति आलोक कुमार सिन्हा

सीएवी का फैसला
(माननीय न्यायमूर्ति आलोक कुमार सिन्हा द्वारा)
दिनांकः 09–10–2025

दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं की दलीलें सुनीं।

2. वर्तमान रिट याचिका निम्नलिखित राहतों के लिए दायर की गई है:

"(i) वरिष्ठ नागरिक (प्रकीर्ण) अपील संख्या 01/2020–21 में समाहर्ता–सह–जिला मजिस्ट्रेट, पटना द्वारा दिनांक 10.06.2022 को पारित आदेश को रद्द करने के लिए, जिसके तहत विद्वान समाहर्ता ने अध्यक्ष सह अनुमंडल पदाधिकारी, पटना सदर, पटना के आदेश को निरस्त कर दिया।

(ii) याचिकाकर्ताओं के परिवार को परेशान न करने के लिए प्रतिवादी प्राधिकार को परमादेश के रूप में निदेश जारी करने के लिए, क्योंकि याचिकाकर्ता अपने परिवार के सदस्यों के साथ रह रहे हैं।

(iii) याचिकाकर्ताओं के मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, आपके माननीय न्यायाधीश द्वारा उचित समझे जाने वाले निर्देश जारी करने हेतु निदेश।"

3. अपीलकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने विद्वान एकल न्यायाधीश के विवादित निर्णय (एलपीए अपील के अनुलग्नक–7) को चुनौती देते हुए यह तर्क दिया कि माता–पिता और वरिष्ठ नागरिकों के भरण–पोषण एवं कल्याण अधिनियम, 2007 के तहत कार्यवाही शुरू करना ही अधिकारिता से बाहर था, क्योंकि अपीलकर्ता अधिनियम की धारा 4 के अर्थ में "बच्चे" नहीं हैं, बल्कि शिकायतकर्ता वरिष्ठ नागरिक के भतीजे हैं। यह तर्क दिया गया कि विवादित संपत्ति संयुक्त परिवार की संपत्ति है, और स्वामित्व, विभाजन और हकदारी के मुद्दे पहले से ही सक्षम सिविल न्यायालय के समक्ष विचाराधीन हैं (अनुलग्नक–2)। इसके बावजूद, भरण–पोषण न्यायाधिकरण ने संक्षिप्त कार्यवाही में धारा 23 के तहत, स्वामित्व और कब्जे के जटिल प्रश्नों का निर्णय करने का दायित्व ग्रहण किया गया है, जो इसके सीमित वैधानिक

याचिका का अनुलग्नक–6 ध क/1 पूरक हलफनामे का अनुलग्नक), रजिस्ट्रीकृत पारिवारिक समझौता विलेख (रिट याचिका का अनुलग्नक–8) और कब्जे को स्थापित करने वाली राजस्व रसीदें (रिट याचिका का अनुलग्नक–9) शामिल हैं, को नजरअंदाज कर दिया गया और अपीलकर्ताओं को मात्र लाइसेंसधारी या अनुमति प्राप्त कब्जेदार मान लिया गया।

आगे यह तर्क दिया गया कि लंबित अवधि के दौरान दायर की गई अंतरिम याचिकाएँ (एलपीए अपील के अनुलग्नक– झ क/1 और अनुलग्नक–1 क/2) विवादित आदेशों के कारण अपीलकर्ताओं को हो रहे निरंतर नुकसान को दर्शाती हैं। यह भी कहा गया कि धारा 23 के तहत बेदखली या कब्जा हटाने का आदेश मनमाने ढंग से नहीं दिया जा सकता है, और न्यायाधिकरण निष्पक्ष रूप से और वैधानिक सीमाओं के अनुरूप कार्य करने के लिए बाध्य है। इन आधारों पर, यह निवेदन किया गया कि न्यायाधिकरण के आदेश (रिट याचिका का अनुलग्नक–4 एलपीए अपील का अनुलग्नक–2), जिन्हें विद्वान एकल न्यायाधीश ने पुष्टि की है, क्षेत्राधिकार संबंधी त्रुटि, महत्वपूर्ण साक्ष्यों की अनदेखी और अधिनियम के गलत प्रयोग से दूषित हैं, और इसलिए इस एलपीए अपील में हस्तक्षेप की आवश्यकता है।

4. इसके विपरीत, प्रतिवादियों की ओर से उपस्थित विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि भरण–पोषण न्यायाधिकरण के समक्ष कार्यवाही पूर्णतः अधिकार क्षेत्र में थी और माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों के भरण–पोषण एवं कल्याण अधिनियम, 2007 के साथ पूर्णतः अनुरूप थी। यह तर्क दिया गया कि अपीलकर्ता संपत्ति पर अनुमति से कब्जा किए हुए हैं, उनके पास स्वतंत्र स्वामित्व का कोई प्रमाण नहीं है, और वे वरिष्ठ नागरिक के वैध दावे का विरोध नहीं कर सकते। न्यायाधिकरण ने (दिनांक 20.7.2022 के अपने आदेश रिट याचिका के अनुलग्नक–4 ब त/एलपीए के अनुलग्नक–2 से) (रिट याचिका का अनुलग्नक–4 एलपीए अपील का अनुलग्नक–2) में, उचित नोटिस और सुनवाई के बाद, स्पष्ट रूप से यह निष्कर्ष निकाला कि वरिष्ठ नागरिक कब्जे और किराए की वसूली के हकदार थे। यह भी प्रस्तुत किया गया कि तथाकथित पारिवारिक समझौता विलेख (रिट याचिका का अनुलग्नक–8) और राजस्व रसीदें (रिट याचिका का अनुलग्नक–9) कानूनी रूप से मान्य नहीं हैं और इन्हें उचित रूप से नजरअंदाज किया गया था। बाद के हलफनामे और राजस्व प्रविष्टियों पर विचार करने पर भी, कोई स्वामित्व प्रदान नहीं होता है, क्योंकि पात्रता और अधिकार एकतरफा दावों के आधार पर नहीं, बल्कि स्थापित स्वामित्व के आधार पर निर्धारित किए जाने चाहिए।

अनुमन

विचारणीय मुद्दे

1. क्या विद्वान एकल न्यायाधीश ने भरण–पोषण न्यायाधिकरण के दिनांक 14.03.2020 के आदेश और समाहर्ता–सह–जिला मजिस्ट्रेट के दिनांक 10.06.2022 के आदेश की पुष्टि एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों को कथित उल्लंघन के आधार पर करने में विधिवत त्रुटि की है?

2. क्या भरण–पोषण न्यायाधिकरण ने माता–पिता और वरिष्ठ नागरिकों के भरण–पोषण एवं कल्याण अधिनियम, 2007 की धारा 23 के तहत अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए, अपीलकर्ताओं को प्रश्नगत संपत्ति से बेदखल करने का निर्देश देने में वैधानिक सीमाओं के भीतर कार्य किया?

3. क्या पारिवारिक व्यवस्था, विभाजन के दावों और राजस्व अभिलेखों के आधार पर अपीलकर्ताओं द्वारा दावा किए गए स्वतंत्र अधिकारों का निर्णय "2007 अधिनियम" के तहत संक्षिप्त क्षेत्राधिकार के अंतर्गत किया जा सकता है?

4. क्या मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, "2007 अधिनियम" के लाभकारी उद्देश्य और जनादेश के लिए न्यायाधिकरण के उस आदेश को बरकरार रखना आवश्यक है जिसे विद्वान एकल न्यायाधीश ने पुष्टि की है?

निष्कर्ष

मुद्दा संख्या 1 : क्या विद्वान एकल न्यायाधीश ने भरण–पोषण न्यायाधिकरण के दिनांक 14.03.2020 के आदेश और समाहर्ता–सह–जिला मजिस्ट्रेट के दिनांक 10.06.2022 के आदेश की पुष्टि करते हुए प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के कथित उल्लंघन के आधार पर विधि में त्रुटि की है?

अपीलकर्ताओं ने तर्क दिया है कि भरण–पोषण न्यायाधिकरण के समक्ष कार्यवाही (रिट याचिका का अनुलग्नक–4) प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन करते हुए की गई थी। उनका कहना है कि न्यायाधिकरण ने उन्हें अपना बचाव प्रस्तुत करने का पर्याप्त अवसर नहीं दिया, उनके लिखित निवेदन (रिट याचिका का अनुलग्नक–6 पूरक हलफनामे का अनुलग्नक–एसए/1) और राजस्व रसीदें और पारिवारिक व्यवस्था जैसे सहायक दस्तावेजों को नजरअंदाज कर दिया गया, और न्यायाधिकरण का दिनांक 14.03.2020 का आदेश अनुचित जल्दबाजी में पारित किया गया। आगे यह भी तर्क दिया गया है कि माननीय एकल न्यायाधीश ने दिनांक 29.01.2024 को सीडब्लूजेसी संख्या 10426/2022

अनुमन

(एलपीए अपील का अनुलग्नक–7) को खारिज करते समय इन खामियों को नजरअंदाज कर दिया।

दूसरी ओर, रिकॉर्ड से पता चलता है कि अपीलकर्ताओं को नोटिस विधिवत रूप से तामील किए गए थे; वे उपस्थित हुए, कार्यवाही में भाग लिया और अपने पक्ष के समर्थन में संलग्नकों सहित लिखित उत्तर दाखिल किए। भरण–पोषण न्यायाधिकरण ने 14.03.2020 को बेदखली का तर्कसंगत आदेश पारित करने से पहले इन दलीलों पर विचार किया। पटना के समाहर्ता–सह–जिला मजिस्ट्रेट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद, वरिष्ठ नागरिक अपील संख्या 01/2020–21 (एलपीए का अनुलग्नक–2) में दिनांक 10.06.2022 के आदेश द्वारा इसकी पुष्टि की। इसके बाद, माननीय एकल न्यायाधीश ने दिनांक 29.01.2024 के फैसले में मामले की स्वतंत्र रूप से जांच की गई और रिट याचिका खारिज कर दी गई।

यह सर्वविदित है कि प्राकृतिक न्याय का सार कार्य में निष्पक्षता है, न कि तकनीकी औपचारिकताओं का औपचारिक पालन। उच्चतम न्यायालय ने यूनियन ऑफ इंडिया बनाम डब्ल्यू.एन. चड्ढा, 1993 सप्लीमेंट (4) एससीसी 260 में कहा कि "प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों को किसी कठोर सूत्र में नहीं बांधा जा सकता; उनकी प्रयोज्यता प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करती है, और एक बार उचित अवसर प्रदान किए जाने के बाद, उल्लंघन की शिकायत पर विचार नहीं किया जा सकता।"

इसी प्रकार, धरमपाल सत्यपाल लिमिटेड बनाम केंद्रीय उत्पाद शुल्क उपआयुक्त, (2015) 8 एससीसी 519 में, न्यायालय ने दोहराया कि प्राकृतिक न्याय कोई "अनियंत्रित सिद्धांत" नहीं है, बल्कि यह सुनिश्चित करने का सिद्धांत है कि किसी को भी अनसुना न किया जाए, और जो आवश्यक है वह "प्रक्रिया की पर्याप्त निष्पक्षता" है। जहाँ भागीदारी प्रदान की गई है और उस पर विचार किया गया है, वहाँ इनकार का तर्क विफल हो जाता है।

उपरोक्त सिद्धांतों को वर्तमान मामले पर लागू करने पर यह स्पष्ट है कि अपीलकर्ताओं को हर स्तर पर सुना गया। अवसर से वंचित किए जाने का उनका दावा न्यायाधिकरण और अपीलीय प्राधिकार दोनों के समक्ष उनकी स्वयं की भागीदारी और दस्तावेजों की प्रस्तुति से झूठा साबित होता है। विद्वान एकल न्यायाधीश ने सही ढंग से दर्ज किया कि अपीलकर्ताओं ने "अधिनियम 2007" के तहत सीमित अधिकार क्षेत्र को स्वामित्व और विभाजन

अनुपमा

विवादों के निर्णय हेतु एक मंच के रूप में विस्तारित करने की मांग की, जो कि अस्वीकार्य है।

इसलिए, हमारा मानना है कि सिद्धांतों का कोई उल्लंघन नहीं हुआ है।

मुद्दा संख्या 2: क्या भरण–पोषण न्यायाधिकरण, ने अभिभावक एवं वरिष्ठ नागरिक भरण–पोषण अधिनियम, 2007 की धारा 23 के तहत अधिकारिता क्षेत्र का प्रयोग करते हुए, अपीलकर्ताओं को संबंधित संपत्ति से बेदखल करने का निर्देश देते समय वैधानिक सीमाओं के भीतर कार्य किया?

भरण–पोषण न्यायाधिकरण का दिनांक 05.05.2023 का आदेश (रिट याचिका का अनुलग्नक 4 कानूनी याचिका का अनुलग्नक 2), जिसमें अपीलकर्ताओं को निर्धारित परिसर से बेदखल करने का निर्देश दिया गया था, को अपीलीय प्राधिकारी ने दिनांक 10.06.2022 को और विद्वान एकल न्यायाधीश ने दिनांक 21.11.2023 के निर्णय (कानूनी याचिका का अनुलग्नक 7) द्वारा पुष्टि की। अपीलकर्ताओं का तर्क है कि न्यायाधिकरण ने स्वामित्व, विभाजन और हक के मामलों में हस्तक्षेप करके "अधिनियम 2007" की धारा 23 की वैधानिक सीमाओं का उल्लंघन किया है, जो कि सक्षम सिविल न्यायालय के समक्ष विचाराधीन मामले हैं। यह तर्क दिया गया कि धारा 23 केवल न्यायाधिकरण को भरण–पोषण की शर्त के अधीन किए गए हस्तांतरणों को रद्द करने की अनुमति देती है, और बेदखली या कब्जा हटाने का आदेश देने तक विस्तारित नहीं होती है।

इसके विपरीत, प्रतिवादी वरिष्ठ नागरिक की ओर से उपस्थित विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि "अधिनियम 2007" एक लाभकारी कानून है और न्यायाधिकरण, एक वैधानिक मंच होने के नाते, वरिष्ठ नागरिकों के निवास, गरिमा और शांतिपूर्ण कब्जे को सुरक्षित करने के लिए सभी आवश्यक परिणामी निर्देश पारित करने के लिए सशक्त है। यह तर्क दिया गया कि अपीलकर्ता, धारा 4 के अर्थ में "बच्चे" नहीं बल्कि भतीजे होने के नाते, कार्यवाही का विरोध करने का अधिकार नहीं रखते हैं। संयुक्त स्वामित्व का उनका दावा, यदि कोई हो, तो वह दीवानी न्यायालय का मामला है, लेकिन न्यायाधिकरण के सुरक्षात्मक अधिकारिता को कमजोर नहीं कर सकता। इसके लिए समाहर्ता–सह–जिला मजिस्ट्रेट के दिनांक 10.06.2022 के उस आदेश का हवाला दिया गया जिसमें न्यायाधिकरण के निर्णय की पुष्टि की गई थी, और विद्वान एकल न्यायाधीश के दिनांक 21.11.2023 के उस निर्णय का भी हवाला दिया गया जिसमें (एलपीए का अनुलग्नक–7) को बरकरार रखा गया था।

अनुमा

विचार करने पर, हम अपीलकर्ताओं के अधिकार क्षेत्र के उल्लंघन के तर्क को स्वीकार करने में असमर्थ हैं। अधिनियम 2007 की धारा 23(1) में यह प्रावधान है कि यदि कोई वरिष्ठ नागरिक भरण–पोषण की शर्त के अधीन संपत्ति हस्तांतरित करता है, तो ऐसा हस्तांतरण शून्य माना जाएगा यदि हस्तांतरण में भरण–पोषण का प्रावधान नहीं है। उच्चतम न्यायालय ने समतोला देवी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, एसएलपी संख्या 26651/2023, अनुच्छेद 31 और अनुच्छेद 32 में कहा है कि:

> "31. वरिष्ठ नागरिक अधिनियम के प्रावधानों में कहीं भी विशेष रूप से ऐसे व्यक्तियों के स्वामित्व वाले या उनसे संबंधित किसी परिसर से उन्हें बेदखल करने की कार्यवाही शुरू करने का प्रावधान नहीं है। एस. वनिता बनाम आयुक्त, बेंगलुरु शहरी जिला एवं अन्य के मामले में इस न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणियों के आधार पर ही यह कहा जा सकता है कि वरिष्ठ नागरिक अधिनियम के अंतर्गत न्यायाधिकरण वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक एवं उचित होने पर बेदखली का आदेश भी दे सकेगा। इस प्रकार, न्यायाधिकरण ने वरिष्ठ नागरिक अधिनियम की धारा 23 के अंतर्गत अधिकारिता का प्रयोग करते हुए बेदखली के आदेश पारित करने का अधिकार प्राप्त कर लिया है, जिसमें यह प्रावधान है कि यदि संपत्ति की बिक्री वरिष्ठ नागरिक के हित के विरुद्ध है तो उसे शून्य माना जाएगा।
>
> 32. उपरोक्त निर्णय का अनुसरण इस न्यायालय ने उर्मिला दीक्षित (सुप्रा) मामले में किया था। हालांकि, उपरोक्त मामले में भी न्यायालय ने केवल यह कहा है कि किसी दिए गए मामले में, न्यायाधिकरण "बेदखली का आदेश दे सकेगा" किन्तु प्रत्येक मामले में बेदखली का आदेश देना आवश्यक और अनिवार्य नहीं है। अपीलीय न्यायाधिकरण ने कृष्ण कुमार की बेदखली को आवश्यक ठहराने वाला कोई कारण दर्ज नहीं किया है, न ही यह बताया है कि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में वरिष्ठ नागरिक की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए बेदखली का आदेश देना उचित है।

अनुवर्ग

उर्मिला दीक्षित मामले–सिविल अपील संख्या 10927/2024 में दिनांक 02.01.2025 को पारित अपने फैसले में, उच्चतम न्यायालय ने माना कि "अधिनियम 2007" के तहत न्यायाधिकरण वैधानिक संरक्षण को लागू करने की एक घटना के रूप में बेदखली का निर्देश देने के लिए सक्षम हैं।

इसके अलावा, हाल ही में कमलाकांत मिश्रा बनाम अपर समाहर्ता या अन्य मामले में... माननीय उच्चतम न्यायालय ने दोहराया है कि न्यायाधिकरण बेदखली का निर्देश दे सकेगा जहां "अधिनियम 2007" के तहत ऐसी राहत देना आवश्यक है।

वर्तमान मामले में, न्यायाधिकरण ने स्वामित्व, बंटवारे या मालिकाना हक पर फैसला नहीं सुनाया, जो कि दीवानी अदालत में लंबित हैं। बेदखली का उसका निर्देश कब्जा वापस दिलाने और वरिष्ठ नागरिक के गरिमापूर्ण और सुरक्षित जीवन जीने के अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए एक आवश्यक उपाय था। इसलिए, माननीय एकल न्यायाधीश ने न्यायाधिकरण के आदेश की पुष्टि करते हुए धारा 23 द्वारा प्रदत्त सीमित लेकिन प्रभावी अधिकारिता को समझने में कोई त्रुटि नहीं की।

तदनुसार, यह न्यायालय मानता है कि न्यायाधिकरण ने अपने वैधानिक अधिकारिता के भीतर कार्य किया है, और उसके बेदखली के आदेश को अपीलीय प्राधिकार और विद्वान एकल न्यायाधीश दोनों द्वारा पुष्टि किए जाने के कारण, इसमें कोई अधिकारिता संबंधी खामी नहीं है जिसके लिए हस्तक्षेप की आवश्यकता हो।

मुद्दा संख्या 3: क्या अपीलकर्ताओं ने दावा किया है कि पारिवारिक व्यवस्था और राजस्व अभिलेखों पर आधारित स्वतंत्र अधिकारों का न्यायाधिकरण के सीमित, संक्षिप्त अधिकारिता के अंतर्गत माता–पिता और वरिष्ठ नागरिकों के भरण–पोषण एवं कल्याण अधिनियम, 2007 के तहत निर्णय लिया जा सकता है?

अपीलकर्ताओं ने तर्क दिया कि अनुसूचित संपत्ति में उनके अधिकार पारिवारिक समझौता विलेख (रिट याचिका का अनुलग्नक–8) और सहायक राजस्व रसीद (रिट याचिका का अनुलग्नक–9) दिनांक 19.12.2022 (अनुलग्नक एसए1 पूरक हलफनामें) के साथ प्राप्त होते हैं।

यह तर्क दिया गया कि ये सामग्रियां स्वामित्व के एक स्वतंत्र दावे को दर्शाती हैं और न्यायाधिकरण तथा विद्वान एकल न्यायाधीश ने अपीलकर्ताओं को मात्र अनुमति प्राप्त

अनुमति

कब्जेदार मानकर गलती की है। अपीलकर्ताओं के अनुसार, उनके दावे पर "अधिनियम 2007" की धारा 23 के तहत कार्यवाही में निर्णय होना आवश्यक है।

इसके विपरीत, प्रतिवादियों ने तर्क दिया कि "अधिनियम 2007" के तहत कार्यवाही संक्षिप्त प्रकृति की होती है और स्वामित्व, विभाजन या संपत्ति के जटिल मामलों पर निर्णय देने के दायरे में नहीं आती। अपीलकर्ता, अधिनियम की धारा 4 के अर्थ में भतीजे हैं, न कि "बच्चे", इसलिए कथित स्वतंत्र स्वामित्व के आधार पर न्यायाधिकरण के समक्ष कार्यवाही का विरोध करने का उन्हें कोई अधिकार नहीं है। यह प्रस्तुत किया गया कि ऐसे अधिकारों को लागू करने का उचित मंच सक्षम सिविल न्यायालय है, न कि भरण–पोषण न्यायाधिकरण, जिसकी अधिकारिता वरिष्ठ नागरिकों की संपत्ति और निवास की सुरक्षा सुनिश्चित करने तक सीमित है।

विचार करने पर, हमें प्रतिवादियों की दलील में दम (सार्थकता) नजर आता है। "अधिनियम 2007" की धारा 23 वरिष्ठ नागरिकों को उपेक्षा से बचाने और उनकी संपत्ति और स्वामित्व की रक्षा करने के लिए बनाई गई है, जहाँ हस्तांतरण भरण–पोषण की शर्त के अधीन किए जाते हैं। इसकी अधिकारिता सुरक्षात्मक, संक्षिप्त और सीमित है। और यह स्वामित्व या विभाजन के परस्पर विरोधी नागरिक दावों के समाधान तक विस्तारित नहीं होता है।

वर्तमान मामले में, न्यायाधिकरण ने कथित पारिवारिक व्यवस्था और राजस्व प्रविष्टियों के तहत अपीलकर्ताओं के अधिकारों के दावे पर निर्णय देने से सही ढंग से इनकार कर दिया, यह मानते हुए कि ऐसे मामले उसके अधिकारिता से बाहर हैं। विद्वान एकल न्यायाधीश ने दिनांक 29.01.2024 के निर्णय (एलपीए के अनुलग्नक–7) में यह भी टिप्पणी की कि अपीलकर्ता "अधिनियम 2007" के तहत संक्षिप्त कार्यवाही को दीवानी मुकदमेबाजी के विकल्प के रूप में विस्तारित करने का प्रयास कर रहे थे, जो अस्वीकार्य है।

इसलिए हम मानते हैं कि अपीलकर्ताओं द्वारा दावा किए गए स्वतंत्र अधिकार, भले ही पारिवारिक समझौते या राजस्व रसीदों जैसे दस्तावेजों द्वारा समर्थित हों, दीवानी न्यायालय द्वारा न्यायनिर्णय के मामले हैं और "अधिनियम 2007" के तहत कार्यवाही में इनका निर्धारण नहीं किया जा सकता है। न्यायाधिकरण और विद्वान एकल न्यायाधीश ने वैधानिक अधिकारिता तक सीमित रहकर और इन सहायक दावों पर विचार करने से इनकार करके सही निर्णय लिया।

अनुपम

मुद्दा संख्या 4: क्या मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, माता–पिता और वरिष्ठ नागरिकों के भरण–पोषण और कल्याण अधिनियम, 2007 के लाभकारी उद्देश्य और जनादेश के लिए न्यायाधिकरण के उस आदेश को बरकरार रखना आवश्यक है जिसे विद्वान एकल न्यायाधीश ने पुष्टि की है?

अपीलकर्ताओं ने तर्क दिया कि न्यायाधिकरण ने दिनांक 14.03.2020 के आदेश (रिट याचिका के अनुलग्नक–4) और अपीलीय प्राधिकारी ने दिनांक 10.06.2022 के आदेश (एलपीए के अनुलग्नक–2) द्वारा अनुसूचित संपत्ति से उन्हें बेदखल करने का निर्देश देकर अधिनियम 2007 की धारा 23 के दायरे से बाहर कार्य किया है। यह तर्क दिया गया कि अधिनियम का मुख्य उद्देश्य आर्थिक भरण–पोषण सुनिश्चित करना है, न कि संपत्ति का कब्जा छीनना, और यह कि माननीय एकल न्यायाधीश ने दिनांक 29.01.2024 के निर्णय (एलपीए के अनुलग्नक–7) द्वारा अधिनियम को बेदखली का आधार मानकर गलती की है।

इसके विपरीत, प्रतिवादियों के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि "अधिनियम 2007" एक कल्याणकारी कानून है जिसे वरिष्ठ नागरिकों को उपेक्षा, उत्पीड़न और उनकी संपत्ति से वंचित किए जाने से बचाने के उद्देश्य से बनाया गया है। यह तर्क दिया गया कि न्यायाधिकरण की अधिकारिता की व्याख्या उद्देश्यपूर्ण ढंग से की जानी चाहिए, ताकि वरिष्ठ नागरिकों के शांतिपूर्ण और गरिमापूर्ण निवास के अधिकार को सुरक्षित किया जा सके, और अनधिकृत कब्जेदारो को बेदखल करना उस सुरक्षा का एक आवश्यक हिस्सा है। इसके लिए एस. वनिता बनाम उपायुक्त, बेंगलुरु शहरी जिला, (2021) 15 एससीसी 730, सुदेश छिकारा बनाम रामती देवी, (2022) 1 एससीसी 705, साथ ही उर्मिला दीक्षित मामले (उपरोक्त) में 02.01.2025 और कमलाकांत मिश्रा मामले में 12.09.2025 को उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए हालिया निर्णयों का हवाला दिया गया।

गहन विचार–विमर्श करने पर हम पाते हैं कि "अधिनियम 2007" का उद्देश्य न केवल आर्थिक सहायता प्रदान करना है, बल्कि वरिष्ठ नागरिकों के जीवन, गरिमा और निवास की सुरक्षा सुनिश्चित करना भी है। धारा 23 न्यायाधिकरण को ऐसे संपत्ति हस्तांतरणों को अमान्य घोषित करने का अधिकार प्रदान करती है, जिनमें सहायता प्रदान नहीं की गई हो, और इसके परिणामस्वरूप, वरिष्ठ नागरिकों के अधिकारों में बाधा उत्पन्न करने वाले अतिक्रमणकारियों को बेदखल करने और संपत्ति पर कब्जा बहाल करने के आदेश पारित करने का भी अधिकार देती है।

अनुराग

एस. वनिता मामले (उपरोक्त) में, उच्चतम न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि यद्यपि न्यायाधिकरण जटिल दीवानी विवादों का निपटारा नहीं कर सकता, फिर भी उसे बेदखली के आदेश पारित करने का अधिकार है, जहाँ रिश्तेदारों या अन्य लोगों का कब्जा वैधानिक आदेश का उल्लंघन करता है। इसी प्रकार, सुदेश छिकारा मामले (उपरोक्त) में, न्यायालय ने माना कि अधिनियम के तहत कार्यवाही सुरक्षात्मक है और वरिष्ठ नागरिकों को प्रभावी राहत सुनिश्चित करने के लिए इसका उद्देश्यपूर्ण ढंग से व्याख्या की जानी चाहिए। हाल ही में, उच्चतम न्यायालय ने कमलाकांत मिश्रा बनाम अपर समाहर्ता और अन्य बनाम एसएलपी (सिविल) डी संख्या 42786/2025 के फैसले में दिनांक 12.9.2025 को दोहराया कि "अधिनियम 2007" के तहत गठित न्यायाधिकरण बेदखली का निर्देश दे सकेंगे जहाँ वरिष्ठ नागरिकों के लिए परिकल्पित संरक्षण को प्रभावी बनाने के लिए ऐसी राहत आवश्यक है, "इस बात पर जोर देते हुए कि अन्यथा यह कानून निरर्थक हो जाएगा। ये सभी निर्णय इस बात को रेखांकित करते हैं कि विधायी आशय वरिष्ठ नागरिक को उपेक्षा या शोषण से वास्तविक सुरक्षा प्रदान करना है।

5. इन सिद्धांतों को लागू करते हुए, हमारा मानना है कि न्यायाधिकरण ने अपीलकर्ताओं को बेदखल करने का निर्देश देते समय "अधिनियम 2007" के सुरक्षात्मक दायरे में ही कार्य किया है। अपीलकर्ता, धारा 4 के तहत "बच्चे" नहीं बल्कि भतीजे होने के नाते, कार्यवाही का विरोध करने का कोई वैधानिक अधिकार नहीं रखते हैं, और उनके कथित सह–स्वामित्व के दावों को सिविल न्यायालय के लिए छोड़ देना उचित था। न्यायाधिकरण का आदेश शिकायतकर्ता के आवासीय संपत्ति पर शांतिपूर्ण कब्जे के अधिकार को सुरक्षित करने के लिए आवश्यक था, और विद्वान एकल न्यायाधीश ने 29.01.2024 के फैसले में इस दृष्टिकोण की सही पुष्टि की। तदनुसार, हम मानते हैं कि "अधिनियम 2007" के लाभकारी उद्देश्य और जनादेश के लिए न्यायाधिकरण और विद्वान एकल न्यायाधीश के आदेशों को बरकरार रखना आवश्यक है। अपील में कोई दम नहीं है, इसलिए इसे खारिज कर दिया जाना चाहिए।

6. मुद्दे 1 से 4 के अंतर्गत दर्ज कारणों के आधार पर, यह न्यायालय भरण–पोषण न्यायाधिकरण (दिनांक 14.03.2020 का आदेश, रिट याचिका का अनुलग्नक–4), समाहर्ता–सह–जिला मजिस्ट्रेट द्वारा वरिष्ठ नागरिक अपील संख्या 01/2020–21 (दिनांक 10.06.2022 का आदेश, एलपीए अपील का अनुलग्नक–2), और विद्वान एकल न्यायाधीश

अनुभव

द्वारा दिए गए (सीब्डलूजेसी सं० 10426–22 एल पी ए अनुलग्नक–7) दिनांक–29.01.2024 सर्वसम्मत निष्कर्षों में कोई त्रुटि नहीं पाता है।

7. तदनुसार, यह लेटर्स पेटेंट अपील खारिज की जाती है। सीडब्ल्यूजेसी संख्या 10426 का 2022 में दिनांक 29.01.2024 को विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा दिया गया निर्णय बिना किसी लागत आदेश के बरकरार रखा जाता है।

(पी. बी. बाजनथरी, मुख्य न्यायाधीश)

(आलोक कुमार सिंह, न्यायमूर्ति)

प्रकाश नारायण

एएफआर/एनएएफआर	एएफआर
सीएवी तिथि	23.09.2025
अपलोड करने की तिथि	09.10.2025
संचरण तिथि	एनए

अनुभव